झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान– सभा
सप्तदश (मॉनसून) सत्र
वर्ग– 05

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक– 11 श्रावण, 1946 [श0] / 02 अगस्त, 2024 [ई0] को झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0–	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
01–	रा–03	सुश्री अम्बा प्रसाद	विस्थापन का लाभ देना।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार	24.07.2024
02–	श्रनि–01	श्री कमलेश कुमार सिंह	रिक्त पदों पर पदस्थापन।	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण	26.07.2024
03–	स–12	श्री कमलेश कुमार सिंह	UHWC का संचालन।	स्वास्थ्य, चिकित्सा,शिक्षा एवं परिवार कल्याण	26.07.2024
04–	स–05	श्री सरयू राय	दोषियों पर कार्रवाई।	स्वास्थ्य, चिकित्सा,शिक्षा एवं परिवार कल्याण	24.07.2024
05–	रा–07	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	लगान रसीद निर्गत करना।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार	26.07.2024
06–	रा–04	सुश्री अम्बा प्रसाद	मुआवजा उपलब्ध कराना।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार	24.07.2024
07–	स– 13	श्री किशुन कुमार दास	चिकित्सकों का पदस्थापन।	स्वास्थ्य, चिकित्सा,शिक्षा एवं परिवार कल्याण	26.07.2024
08–	विधि– 01	श्री उमा शंकर अकेला	न्यायालय का स्थापना।	विधि	24.07.2024

01.	02.	03.	04.	05.	06
09—	स—09	श्री सुखराम उराँव	एक्स—रे मशीन को चालु कराना।	स्वास्थ्य, चिकित्सा,शिक्षा एवं परिवार कल्याण	24.07.2024
10—	स—08	डॉ0 लम्बोदर महतो	प्रतिनियुक्ति यथावत रखना।	स्वास्थ्य, चिकित्सा,शिक्षा एवं परिवार कल्याण	24.07.2024
11—	रा—06	श्रीमती पुष्पा देवी	अंचल अधिकारी का पदस्थापन।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार	26.07.2024
12—	स—02	श्री दशरथ गागराई	अस्पताल का निर्माण।	स्वास्थ्य, चिकित्सा,शिक्षा एवं परिवार कल्याण	24.07.2024
13—	स—01	डॉ0 कुशवाहा शशि भूषण मेहता	चिकित्सक उपलब्ध कराना।	स्वास्थ्य, चिकित्सा,शिक्षा एवं परिवार कल्याण	24.07.2024
14—	रा—09	श्री बिरंची नारायण	आवेदनों का निष्पादन।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार	26.07.2024
15—	रा—01	श्री अमित कुमार मण्डल	कार्रवाई करना।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार	24.07.2024
16—	स— 03	श्री अमित कुमार मण्डल	उच्चस्तरीय जाँच।	स्वास्थ्य, चिकित्सा,शिक्षा एवं परिवार कल्याण	24.07.2024
17—	स—11	श्रीमती पुष्पा देवी	चिकित्सकों की नियुक्ति।	स्वास्थ्य, चिकित्सा,शिक्षा एवं परिवार कल्याण	26.07.2024
18—	रा—02	विनोद कुमार सिंह	अतिक्रमण मुक्त कराना।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार	24.07.2024
19—	स—10	श्री केदार हजरा	चिकित्सकों का पदस्थापन।	स्वास्थ्य, चिकित्सा,शिक्षा एवं परिवार कल्याण	24.07.2024
20—	स—07	श्री जिग्गा सुसारण होरो	दोषियों पर कार्रवाई।	स्वास्थ्य, चिकित्सा,शिक्षा एवं परिवार कल्याण	24.07.2024
21—	रा—05	श्री रामदास सोरेन	भूमि पर दखल दिलाना।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार	24.07.2024
22—	स—06	श्री दशरथ गागराई	चिकित्सा पदाधिकारी का पदस्थापन।	स्वास्थ्य, चिकित्सा,शिक्षा एवं परिवार कल्याण	24.07.2024
23—	स—04	श्री मथुरा प्रसाद महतो	संवेदक पर कार्रवाई।	स्वास्थ्य, चिकित्सा,शिक्षा एवं परिवार कल्याण	24.07.2024
24—	रा—08	श्रीमती सुनिता चौधरी	दोषियों पर कार्रवाई।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार	26.07.2024

कृ0पृ0उ0—

राँची,
दिनांक— 02 अगस्त, 2024 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या— प्रश्न— 06/2020 3461 /वि0स0, रांची, दिनांक— 29/07/24

प्रतिः— झारखण्ड विधान—सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय नेता प्रतिपक्ष/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

29/7/24
(सरोज कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या— प्रश्न— 06/2020 3461 /वि0स0, रांची, दिनांक— 29/07/24

प्रतिः— आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव सचिवीय कार्यालय/ उप सचिव (प्रश्न), झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/ प्रभारी सचिव महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

29/7/24
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या— प्रश्न— 06/2020 3461 /वि0स0, रांची, दिनांक— 29/07/24

प्रतिः— कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा, ऑनलाईन एवं वेवसाईट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/24
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, राँची।

राजु/—

29/7/24

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.08.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–03 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	सुश्री अम्बा प्रसाद, मा0स0वि0स0	**माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।**
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत एनटीपीसी की केरेडारी कोयला खनन परियोजना के द्वारा ग्राम पंचायत पांडू, बेंगबरी में खनन कार्य कर रही है, जिनके रैयतों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत कृषि रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक । जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग के पत्रांक 1238/भू0अ0, दिनांक–27.02.2024 से प्रतिवेदित है कि ग्राम पंचायत–पाण्डु में खनन कार्य किया जा रहा है। है। बैगवरी अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर है। अपर महाप्रबंधक (R&R), केरेडारी कोयला खनन परियोजना, एनटीपीसी लिमिटेड के पत्रांक–545, दिनांक–27.07.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि केरेडारी कोयला खनन परियोजना द्वारा पाण्डु पंचायत के ग्राम–पाण्डु में खनन कार्य किया जा रहा है, जिसके रैयतों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत कृषि रहा है। ग्राम–बेंगवरी अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर है, यहाँ खनन कार्य नहीं किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम पंचायत के रैयतों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत छिन जाने के बाद भी दूसरे गाँव में जमीन होने और जमीन में घर नहीं होने का हवाला देकर कम्पनी द्वारा विस्थापन एवं अन्य लाभ नहीं प्रदान किया जा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक । एनटीपीसी, झारखण्ड सरकार के साथ पुनर्वास व पुनर्स्थापन नीति के तहत् संकल्प संख्या– 116/रा0, दिनांक–27.02.2013 में निहित प्रावधानों के अनुरूप रैयतों को विभिन्न लाभ यथा भूमि व संरचना का मुआवजा, वार्षिकी व विस्थापन लाभ प्रदान कर रही है। विदित हो कि विस्थापन लाभ उन्हीं रैयतों को दिये जाने का प्रावधान है जिनके आवासीय घर खनन अधिसूचना के समय अधिग्रहण क्षेत्र में अवस्थित थे तथा उन्हें भूमि अधिग्रहण के कारण अपना आवास छोड़कर जाना पड़ रहा हो।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार केरेडारी कोयला खनन परियोजना के विस्थापित रैयत जिनकी भूमि किसी अन्यत्र गांव में मौजूद थी और जमीन में घर नहीं थी उनको भी विस्थापन संबंधित लाभ प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी हैं।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

(भू–अर्जन निदेशालय)

ज्ञापांक–08 ए0/भू0अ0नि0, वि0स0 (तारां0)–142/2024-647/नि0रा0 राँची, दिनांक–01-8-2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं0–3186/वि0स0, दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय (प्रभारी) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/8/24

सरकार के अवर सचिव।

F:\Narendra sir\vidhan sabha 8A (Vikrant)

02

श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–02.08.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–श्र0नि0–01 का उत्तर सामग्री। 1006 01/08/2024

क्र0	प्रश्नकर्त्ता **श्री कमलेश कुमार सिंह,** माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता **श्री सत्यानन्द भोक्ता** माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है, कि पलामू जिला अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, हुसैनाबाद में विभिन्न संकायों के अनुदेशक के 17 स्वीकृत पदों के विरूद्ध मात्र 03 अनुदेशक तथा लिपिक के स्वीकृत 06 पदों के विरू0 मत्र 01 लिपिक पदस्थापित है;	**स्वीकारात्मक।**
2	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–1 में वर्णित प्रशिक्षण केन्द्रों के 03 अनुदेशकों में 01 प्रभारी प्राचार्य हैं तथा शेष 02 अनुदेशकों को सप्ताह में दो–दो दिन औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र छतरपुर एवं विश्रामपुर प्रशिक्षण कार्य हेतु जाना पड़ता है जिस कारण प्रशिक्षणार्थियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो रहें है;	प्रतिनियुक्ति स्वीकारात्मक, लेकिन इनसे शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित नहीं हो रही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, हुसैनाबाद में अनुदेशक एवं लिपिक के 24 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 20 रिक्त पदों पर पदस्थापना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड राज्य अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति हेतु भेजी गई अधियाचना के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। प्रकाशित विज्ञापन के क्रम में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिनांक–27.11.2023, 28.11.2023 एवं 29.11.2023 को परीक्षा सम्पन्न करायी गई है। झारखण्ड कर्मचारी राज्य आयोग के कलेण्डर के अनुसार अगस्त, 2024 में परीक्षाफल प्रकाशित होगी। परीक्षाफल प्रकाशित होते ही नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।

1532 1/8/24

(रेज्युस बाढ़)
सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–18 / 2024श्र0नि0– 1006 राँची, दिनांक–01/08/2024

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–3319, दिनांक–26.07.2024 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1532 1/8/24

सरकार के उप सचिव।

03

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.08.2024 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–12 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभागके संयुक्त सचिव के द्वारा पत्रांक–5/पी0 (के0यो0) 81/2023–84 (5)/2023–84 (5)/स्वा0 दिनांक–07.02.2024 के माध्यम से 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य के प्रक्षेत्र में पलामू जिला अंतर्गत हरिहरगंज नगर पंचायत क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के पुराने भवन में शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र (UHWC) संचालित करने हेतु स्वीकृत्यादेश दिया गया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–1 में वर्णित सरकार के संयुक्त सचिव के द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश में UHWC हरिहरगंज के शहरी प्रशासनिक निकाय (ULB) के कॉलम में नगर पंचायत, हरिहरगंज के स्थान पर नगर पंचायत, हुसैनाबाद हो गया है, फलस्वरूप UHWC हरिहरगंज का संचालन 24 जुलाई 2024 तक प्रारंभ नहीं हो सका है;	शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र, हरिहरगंज नगर पंचायत हरिहरगंज के अन्तर्गत आता है। विभागीय पत्रांक–84(5),दिनांक–07.02.2024 के अनुलग्नक "UHWC & polyclinic DHAP 2022-23 (XV-FC)" में पलामू जिला के अन्तर्गत स्तंभ "Name of ULB where UHWC will be located" में टंकण भूलवश हरिहरगंज नगर पंचायत की जगह हुसैनाबाद नगर पंचायत टंकित हो गया है। त्रुटि के निराकरण हेतु शुद्धि पत्र निर्गत करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3	यदि उपुर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिला अंतर्गत UHWC हरिहरगंज का संचालन यथाशीघ्र करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र, हरिहरगंज, का संचालन माह अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगा।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 06/वि0स0–03–01/2024 08 (06) स्वा0 राँची, दिनांक– 01-08-2024

प्रतिलिपि :उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 3318/वि0स0 रॉची,दिनांक 26.07.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/08/2024

सरकार के संयुक्त सचिव।

04

श्री सरयू राय, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.08.2024 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–05 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र0स0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि विभागीय निविदा दर से ऊँची दर पर भारत सरकार के उपक्रमों से दवा खरीद घोटाला की जाँच के लिए तीन सदस्यीय जाँच समिति का गठन मार्च, 2023 को हुआ था, जिसे 02.08.2023 को संशोधित किया गया ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि जाँच समिति को समस्त विषयों की पूर्ण समीक्षा कर अपने मंतव्य सुस्पष्ट प्रतिवेदन एक माह के अन्दर निश्चित रूप से उपलब्ध कराना था, परन्तु जाँच समिति ने अपना प्रतिवेदन अभी तक नहीं दिया है, जिस कारण दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। जाँच समिति के द्वारा प्रतिवेदन पीत पत्र के माध्यम से गै0स0प्रे0सं0–12(SS)JKP . दिनांक–12.02.2024 द्वारा प्राप्त है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जाँच समिति का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	विभागीय पत्रांक–86(21), दिनांक–26.07.2024 के द्वारा औषधि विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार (PSU शाखा) से दवाओं के क्रय किये जाने के संबंध में मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है, मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरांत तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0:–21 / वि0स0–06–05 / 2024 95(21) स्वा0 राँची, दिनांक– 31.07.2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–3194 / वि0स0 राँची, दिनांक–24.07.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.7.24
सरकार के अवर सचिव

05

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.08.2024 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–रा०–07 का प्रश्नोत्तर।

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा०स०वि०स०	माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिला अन्तर्गत लापुंग अचंल के लगभग 70% जमीन ऑनलाईन इंदराज नहीं होने के कारण रैयतो को ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत नहीं हो पा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। उपायुक्त, राँची से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार लापुंग अंचल के कुल 18809 जमाबन्दी में से सभी जमाबन्दी ऑनलाइन इंद्राज हैं। लापुंग अंचल अन्तर्गत कुल खातों की संख्या–9697 हैं, जिनमें से 3561 खाता ऑनलाइन इंद्राज हैं एवं ऑनलाइन करने हेतु कुल 6136 खाता अवशेष हैं। खतियान की अनुपलब्धता, जीर्ण–शीर्ण अवस्था में रहने तथा कैथी भाषा में होने के कारण डिजिटाईजेशन नहीं हो पाया है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विशेष अभियान के तहत् शिविर लगाकर ऑनलाईन इंदराज से वंचित जमीन को अविलम्ब ऑनलाईन करने एवं जमीन के ऑनलाईन दर्ज होने तक वैसे जमीन का ऑफलाईन स्वरूप में लगान रसीद निर्गत करने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	दिनांक–11.06.2019 को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–15 में लिये गये निर्णय **"जिन मामलों में खतियान का डिजिटाईजेशन नहीं हुआ है एवं अभी खतियान के आभाव में डिजिटाईजेशन संभव नहीं है, वैसे मामलों में अंचल अधिकारी उपलब्ध दस्तावेजों का सत्यापन एवं भौतिक सत्यापन कराकर पूर्णतः संतुष्ट होने के पश्चात् अभ्युक्ति दर्ज कर पंजी–II के आधार पर लगान भुगतान की स्वीकृति देंगे ताकि रैयत द्वारा ऑनलाईन लगान भुगतान किया जा सके"** के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश विभागीय पत्रांक–2140(6)/रा०, दिनांक–14.06.2019 द्वारा सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त, झारखण्ड को निर्गत है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक–01/निदे०अभि०, वि०स० (तारां)–29/2024..236/रा० राँची, दिनांक–01-8-2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–3315/वि०स०, दिनांक–26.07.2024 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय (प्रभारी) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/8/24

सरकार के अवर सचिव।

Desktop/Prem Sir/QA (Aman)

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.08.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–04 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न सुश्री अम्बा प्रसाद, मा0स0वि0स0	उत्तर माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत एनटीपीसी पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना के द्वारा वर्ष 2016 को आधार वर्ष मानकर मुआवजा एवं विस्थापन संबंधित लाभ संबंधित रैयतों को प्रदान कर रही है;	स्वीकारात्मक। उप महाप्रबंधक (भू–अर्जन विभाग), पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना, एनटीपीसी, हजारीबाग के पत्रांक–1040/PBCMP/LA/2024/239 दिनांक–29.07.2024 से प्रतिवेदित है कि झारखण्ड सरकार के R&R Policy के अन्तर्गत प्रकाशित संकल्प संख्या 116/रा0 दिनांक–27.02.2013 के क्रम संख्या–9 में उप–खण्ड–02 के तहत् परियोजना प्रभावित क्षेत्र में दिए जाने वाले विभिन्न पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन संबंधी लाभ हेतु सेक्शन–9 के घोषित तिथि को ही Cut of Date (2008–2010) माना गया है। दिनांक–02.05.2018 को समाहरणालय, हजारीबाग में एनटीपीसी प्रबंधन एवं ग्राम–उरुब एवं चिरूडीह के ग्रामीणों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आहूत बैठक में उत्खनन प्रारम्भ की तिथि को Cut of Date मानने पर सहमति बनी। एनटीपीसी लिमिटेड का पत्रांक–7010/PBCMP/MIN/16/02, दिनांक–17.05.2016 के साथ संलग्न First Schedule Form-I, Notice of opening, closing or change of name (Annexure-III) अनुसार पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना में उत्खनन कार्य प्रारम्भ करने की वास्तविक तिथि दिनांक–17.05.2016 अंकित है। अतः पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन संबंधी लाभ हेतु Cut of Date 17.05.2016 है जो कि सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र पर लागू है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2016 में खनन कार्य परियोजना क्षेत्र के एक गांव से शुरू की गई जबकि परियोजना के अंतर्गत भिन्न गांव में खनन कार्य की शुरूआत वर्षों बाद की गई तथा कई गांव में खनन कार्य अभी तक शुरू नहीं हुई है ;	स्वीकारात्मक। पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना में उत्खनन कार्य प्रारम्भ करने की तिथि दिनांक–17.05.2016 है तथा परियोजना में खनन कार्य भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार वर्ष दर वर्ष किया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एनटीपीसी पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना के विस्थापित रैयतों को संबंधित गांव के जिस	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी हैं।

	वर्ष में खनन कार्य शुरू हुआ उसी वर्ष को आधार वर्ष मानते हुए मुआवजा एवं अन्य लाभ उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

(भू–अर्जन निदेशालय)

ज्ञापांक–08 ए0/भू0अ0नि0, वि0स0 (तारा0)–141/2024...646.../नि0रा0 राँची, दिनांक–01-8-2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं0–3187/वि0स0, दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय (प्रभारी) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/8/24

सरकार के अवर सचिव।

07

श्री किशुन कुमार दास, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.08.2024 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्याः–स–13 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला अन्तर्गत प्रखण्ड टण्डवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सक तथा प्रखण्ड मयूरहण्ड के स्वास्थ्य उपकेन्द्र में महिला तथा पुरुष चिकित्सकों की घोर कमी है ;	अस्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टण्डवा में चिकित्सा पदाधिकारी के 04 स्वीकृत पद के विरुद्ध 02 चिकित्सा पदाधिकारी कार्यरत है। प्रखण्ड मयूरहण्ड में स्वास्थ्य उपकेन्द्र नहीं बल्कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है, जिसमें चिकित्सक के 02 स्वीकृत पद के विरुद्ध एक चिकित्सा पदाधिकारी कार्यरत है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला तथा पुरुष चिकित्सक पदस्थापित नहीं होने के कारण समय पर रोगी (महिला+पुरुष) को चिकित्सकीय सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है;	उपर्युक्त पदस्थापित चिकित्सकों द्वारा रोगी (महिला+पुरुष) को चिकित्सीय सुविधा प्रदान की जाती है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार टण्डवा प्रखण्ड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सक तथा प्रखण्ड मयूरहण्ड के स्वास्थ्य उपकेन्द्र में महिला तथा पुरुष चिकित्सक का पदस्थापन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0: 03 / वि0स0–03–17 / 2024 607 (3) राँची, दिनांकः 1.8.24

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 3317 / वि0स0 दिनांक 26.07.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

(8)

माननीय स.वि.स. श्री उमाशंकर अकेला से प्राप्त दिनांक–02.08.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या विधि–01 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिले के बरही को अनुमंडल का दर्जा वर्ष 1994 में प्राप्त हुआ है?	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि बरही अनुमंडल में सक्षम न्यायालय की स्थापना नही होने के कारण लोगो को हजारीबाग न्यायालय जाना पड़ता है?	स्वीकारात्मक
3	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार बरही अनुमंडल में सक्षम न्यायालय का स्थापना कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	विभागीय अधिसूचना संख्या–2156 दिनांक–20.09.2017 द्वारा बरही अनुमंडल में अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी का 01 एवं न्यायिक दंडाधिकारी(प्रथम श्रेणी) के अतिरिक्त शक्तियों के साथ सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) का 01 न्यायालय स्थापित किया गया है. इसके अतिरिक्त विभागीय अधिसूचना संख्या–904 दिनांक–02.06.2020 द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी के 02 न्यायालय स्थापित किये गये हैं. उक्त नवसृजित न्यायालयों को क्रियान्वित करने हेतु न्यायालयी भवन एवं अन्य आधारभूत संरचनाओ का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा प्रक्रियाधीन है. न्यायिक दंडाधिकारियो के पद सृजन की कार्रवाई कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा एवं अधीनस्थ कर्मियों के पद सृजन की कार्रवाई प्रशासी विभाग द्वारा प्रक्रियाधीन है.

झारखण्ड सरकार
विधि विभाग

ज्ञापांक– ए०/विधि– वि०स०प्र०–07/2024– 1762/जे0, राँची, दिनांक–26/07/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3189, दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में उत्तर की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

26/07/24

(नलिन कुमार)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी।

09

श्री सुखराम उराँव, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.08.2024 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्याः–स–09 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिम सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर अनुमण्डल अस्पताल में अस्थी रोग विशेषज्ञ का एक (1) भी पदस्थापन नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक। वर्तमान में 20 हड्डी रोग विशेषज्ञ राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत है, जिसमें से एक सदर अस्पताल, चाईबासा में कार्यरत है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित चिकित्सा के अभाव में आये दिन किसी भी तरह की आपदा एवं दुर्घटना में चोटित को बेहतर उपचार हेतु प्रायः सदर अस्पताल, चाईबासा रेफर कर दिया जाता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। अनुमण्डल अस्पताल, चक्रधरपुर में उपलब्ध संसाधनों से आपदा एवं दुर्घटना में चोटिल व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। अति गंभीर मरीजों को ही बेहतर ईलाज हेतु रेफर किया जाता है।
3.	क्या यह बात सही है कि एक्स–रे मशीन की उपलब्धता के बाबजूद भी आज तक अनुमण्डल अस्पताल में उपयोग विहिन एवं वह कचरे के रुप में है;	स्वीकारात्मक। रोगी हित में अनुमण्डल अस्पताल, चक्रधरपुर के लिए स्थापना मद से वित्तीय वर्ष 2023–24 में पोर्टेबल एक्स–रे मशीन का क्रय किया गया है, जिसे माह–मई, 2024 में अनुमण्डल अस्पताल, चक्रधरपुर को उपलब्ध कराया गया है। अनुमण्डल अस्पताल, चक्रधरपुर में NHM के तहत अनुबंध पर एक एक्स–रे टैक्नीशियन की पदस्थापना की गई है। एक्स–रे मशीन के संचालन हेतु परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम–2004 के नियमानुसार AERB (Atomic Energy Regulatory Board) द्वारा निर्गत अनुज्ञप्ति (License) अनिवार्य है। अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया गया है। AERB से अनुज्ञप्ति प्राप्त होते ही एक्स–रे मशीन को चालु किया जायेगा।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोकहित में खण्ड–01 में वर्णित चिकित्सक के अविलम्ब पदस्थापन एवं खण्ड–03 में वर्णित एक्स–रे मशीन को विधिवत् चालू कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	नियुक्ति के पश्चात् हड्डी रोग विशेषज्ञ के पदस्थापन की कार्रवाई की जायेगी तथा AERB (Atomic Energy Regulatory Board) द्वारा निर्गत अनुज्ञप्ति (License) प्राप्त होते ही एक्स–रे मशीन को चालु किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0: 03/वि0स0–03–12/2024 608(3) राँची, दिनांक: 1.8.24

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 3198/वि0स0 दिनांक 24.07.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/8/2024
सरकार के संयुक्त सचिव

डॉ0 लम्बोदर महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.08.2024 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्याः–स–08 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के गोमियॉ प्रखण्ड अन्तर्गत CHC, गोमिया में स्वीकृत चिकित्सकों की सं0–07 है किन्तु कार्यरत चिकित्सक की संख्या 01 है तथा PHC, महुआटांड में स्वीकृति चिकित्सकों की संख्या–02 है किन्तु कार्यरत चिकित्सक की सं0–01 है तथा PHC, साड़म एवं चतरोचट्टी में स्वीकृत चिकित्सकों की सं0–2–2 है किन्तु कार्यरत चिकित्सकों का प्रतिनियुक्त भी अन्यत्र किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोमियॉ में चिकित्सकों के कुल–07 स्वीकृत पद के विरुद्ध कुल 04 चिकित्सक कार्यरत है, जिसके द्वारा ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महुआटांड, गोमियॉ में चिकित्सकों के कुल–02 स्वीकृत पद के विरुद्ध एक चिकित्सक कार्यरत है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, साडम, गोमियॉ में चिकित्सकों के कुल–02 स्वीकृत पद है, जिसके विरुद्ध चिकित्सक पदस्थापित करने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चतरोचट्टी, गोमियॉ में स्वीकृत चिकित्सकों की सं0–02 है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चतरोचट्टी, गोमियॉ सिटीजेन फाउण्डेशन के अन्तर्गत पी0पी0पी0 मोड पर संचालित है, जहॉ 01 (एक) चिकित्सक कार्यरत है। साथ ही, एक चिकित्सक को पदस्थापन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के कसमार प्रखण्ड अन्तर्गत CHC, कसमार में स्वीकृत चिकित्सकों की संख्या–07 है किन्तु कार्यरत चिकित्सक एक भी नहीं है तथा PHC, खैराचातर एवं करमा में स्वीकृत चिकित्सकों की सं0–02 है किन्तु कार्यरत चिकित्सक 1–1 है;	अस्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कसमार में चिकित्सकों के कुल–07 स्वीकृत पद के विरुद्ध कुल–03 चिकित्सक कार्यरत है, जिसके द्वारा ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खैराचातर में चिकित्सकों के कुल–02 स्वीकृत पद के विरुद्ध 02 चिकित्सा पदाधिकारी कार्यरत है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, करमा में चिकित्सकों के कुल–02 स्वीकृत पद के विरुद्ध 01 कार्यरत है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पदों के अनुरुप चिकित्सकों की नियुक्ति एवं अन्यत्र प्रतिनियुक्त चिकित्सकों एवं नर्सों का प्रतिनियुक्ति रद्द कर यथावत् करना चाहती है, हॉ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्ड में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0: 03/वि0स0–03–11/2024 609(3) राँची, दिनांक: 1.8.24

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 3197/वि0स0 दिनांक 24.07.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/8/2024
सरकार के संयुक्त सचिव

(11)

श्रीमती पुष्पा देवी, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.08.2024 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–06 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्रीमती पुष्पा देवी, माननीया स0वि0स0		माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिले के नौडीहाबाजार प्रखण्ड के अंचल कार्यालय नौडीहा बाजार में अंचल अधिकारी का पद पिछले 8 माह से रिक्त है ;		स्वीकारात्मक। राजस्व विभागीय अधिसूचना सं0–2245, दिनांक–24.07.2024 द्वारा श्री मनोहर लिण्डा (राजस्व) का पदस्थापन अंचल अधिकारी, नौडीहा बाजार, पलामू के पद पर कर दिया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त अंचल कार्यालय में अंचल अधिकारी के नहीं रहने से भूमि संबंधित कार्य के साथ–साथ विकास कार्यों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है ;		स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त वर्णित अंचल कार्यालय में अविलम्ब अंचल अधिकारी का पदस्थापना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		उपर्युक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–02/रा0स्था0 वि0स0 (तारां0)–36/2024 2433/रा0 राँची, दिनांक– 31-07-2024

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–3314/वि0स0, दिनांक–26.07.2024 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को एक–एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7 PM

सरकार के उप सचिव

12

श्री दशरथ गागराई, मा0स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–02 की सूचना का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावां जिला के आमदा में निर्माणाधीन 500 बेड वाले अस्पताल के लिए संशोधित डी0पी0आर0 तैयार किया गया है;	सरायकेला–खरसाँवा जिला के आमदा में निर्माणाधीन 500 बेड बाले अस्पताल के निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु परामर्शी के द्वारा संशोधित डी०पी०आर० झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची में समर्पित किया गया है। समर्पित डी०पी०आर० की जाँच की कार्रवाई निगम द्वारा की जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरवर्णित निर्माण कार्य मे लगे पूर्व के संवेदक/एजेन्सी को टर्मिनेट किया गया है;	संवेदक के साथ एकरारनामे को यथास्थिति में बन्द करते हुए Termination की कार्रवाई झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा की जा रही है।
3.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त योजना के अवशेष कार्य के लिए निविदा की प्रक्रिया पूर्ण करा ली गयी है;	झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची से संशोधित डी०पी०आर० प्राप्त होने के पश्चात् इसकी स्वीकृति की कार्रवाई विभाग द्वारा की जायेगी।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार आमदा में निर्माणाधीन 500 बेड वाले अस्पताल के निर्माण कार्य को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा विषयांकित योजना का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण किए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 09/विधायी/06–09/2024 - 351 (9) स्वा0 राँची, दिनांक– 30-7-24

प्रतिलिपि : 1. अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–3191 वि0स0, दिनांक–24.07.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संयुक्त सचिव, प्रभारी प्रशाखा–14, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/24

सरकार के अवर सचिव।

13

डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.08.2024 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या—स0—01 से सम्बंधित उत्तर प्रतिवेदन :—

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत मनातू प्रखण्ड मुख्यालय में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध नहीं होने के कारण आम जनता को ईलाज कराने हेतु वहाँ से दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पदमा जाना पडता है;	अस्वीकारात्मक। पलामू जिला अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनातू का पुराना भवन उपलब्ध है एवं चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि पाँकी विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान समय में स्वास्थ्य विभाग के कई भवन बनकर अनुपयोगी पड़े हुए है, जो ना तो विभाग को हस्तांतरित हुए है और कई जगहों पर डॉक्टर एवं चिकित्साकर्मियों की अनुपलब्धता है;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मनातू प्रखण्ड मुख्यालय में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराने, अधूरे भवनों को पूर्ण कराकर विभाग को हस्तांतरित कराने तथा डॉक्टर एवं चिकित्साकर्मी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों?	पांकी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत मनातू प्रखण्ड, तरहसी प्रखण्ड तथा लेस्लीगंज प्रखण्ड मे पूर्व में बने सभी भवनों को हस्तांतरित कर लिया गया है। वर्तमान में इस विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग का कोई भवन अनुपयोगी नहीं है एवं सभी जगहों पर डॉक्टर एवं चिकित्सा कर्मी उपलब्ध हैं।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक—5 / पी0वि0स0(तारांकित)—11 / 2024........449(5) स्वा0, राँची, दिनांक:.....01.08.2024

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 3190 / वि0स0, दिनांक 24.07.2024 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.8.24
अवर सचिव

श्री बिरंची नारायण, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.08.2024 को पूछे जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–09 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री बिरंची नारायण, माननीय स0वि0स0	**माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।**
1	क्या यह बात सही है कि झारनेट के सर्वर में बोकारो जिले के चास अंचल के राजस्व उप निरीक्षकों का सर्वर लॉगइन नहीं होने के कारण पिछले 15 दिनों से यहाँ जमीन के म्युटेशन से संबंधित करीब 7000 से अधिक आवेदन, जिसमें से विभिन्न हल्का के म्युटेशन के 5053 आवेदन, रसीद भुगतान एवं जमाबंदी से संबंधित 1134 आवेदन और जमीन संबंधित सुधार के 813 आवेदन लंबित हो गए है, जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** झारभूमि पोर्टल के तकनीकी कारणवश चास अंचल के राजस्व उप निरीक्षक का लॉगिन कार्य नहीं कर रहा है। तकनीकी समस्या के निराकरण हेतु Software Query तैयार कर लिया गया है, जिसे Live करने की कार्रवाई की जा रही है। Query के Live होने के पश्चात् लंबित मामलों का निष्पादन अंचल कार्यालय द्वारा कर दिया जायगा।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य में झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम लागू है और निर्धारित समयावधि में काम पूर्ण ना करने की स्थिति में जिम्मेदार पदाधिकारियों पर दंड लगाने का भी नियम है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में कंडिका–01 में वर्णित समस्या को दूर करवाते हुए अगले एक सप्ताह में उक्त सभी लंबित आवेदनों के निष्पादन का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक–01/निदे0 अभि0, वि0स0 (तारां0)–33/2024-238/नि0रा0, राँची, दिनांक–01-8-2024

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–....., दिनांक–..... के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/8/24

सरकार के अवर सचिव।

F:\Prem sir\ vidhan sabha Sec1 *(Vikrant)*

15

श्री अमित कुमार मंडल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.08.2024 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–01 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री अमित कुमार मंडल, माननीय स0वि0स0		माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना दिनांक–15.03.2024, ज्ञापांक–02 / राज0स्था0 (खण्ड)–14 / 2020–856 के आलोक में क्रम संख्या–14 श्री अनिल रविदास, अंचलाधिकारी, गोड्डा का स्थानांतरण, तत्काल प्रभाव से गढ़वा कर दिया गया था जो अबतक प्रभावी नहीं हुआ है ;		उपायुक्त, गढ़वा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विभागीय अधिसूचना दिनांक–15.03.2024, ज्ञापांक–02 / राज0स्था0 (खण्ड)–14 / 2020–856 के आलोक में श्री अनिल रविदास के द्वारा योगदान के पश्चात् अंचलाधिकारी, रमकण्डा के पद पर ज्ञापांक–173, दिनांक–29.07.2024 से प्रभार ग्रहण कर लिया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि कार्मिक विभाग के पत्रांक–5 / आरोप–01.07.2024 (A) का0–3052 के आलोक में जानबुझ कर कोई जाँच सचिव के स्तर पर नहीं हो पायी है ;		विभागीय पत्रांक–2403, दि0–29.07.2024 द्वारा उपायुक्त, गोड्डा से अंचल अधिकारी, गोड्डा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की जाँच करते हुए मंतव्य सहित जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अधिसूचना की अवहेलना करने वाले वरीय पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी गोड्डा सदर पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		उपर्युक्त कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक:–02 / रा0स्था0 वि0स0 (तारां0)–33 / 2024 2458 / रा0 राँची, दिनांक– 01-08-2024

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–3184 / वि0स0, दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय / माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को एक–एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/8/24

सरकार के उप सचिव

16

श्री अमित कुमार मंडल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.08.2024 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या सं0–03 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के गोड्डा विधान सभा अन्तर्गत N.R.H.M. स्वास्थ्य/ D.M.F.T विभाग द्वारा जिले के N.R.E.P. विभाग गोड्डा से ग्राम, दुबराजपुर, डुमरिया, पटवा, रमला, सरकन्डा, सरोतिया, तरवारा, ककना, कुमुर्सी, लौगाय, चिलौना, जहाजकिता, वरियाठा, कैथिया में उपस्वास्थ्य बनाये गये है;	स्वीकारात्मक है, परन्तु उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (PM-ABHIM) के तहत उपायुक्त, गोड्डा द्वारा नामित एजेंसी N.R.E.P. गोड्डा अन्तर्गत निर्माणाधीन है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित निर्मित उपस्वास्थ्य का ग्रील, गेट, खिड़की, बिजली सामग्री, पानी पाईप लाईन, बाथरूम टाईल्स इत्यादि का सामग्री अत्यंत ही निम्नस्तर का लगाया गया है, साथ ही दिवाल एवं छत से पानी रिसवाव भी हो रहा है;	खण्ड–01 में वर्णित स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है एवं अभी तक विभाग को हस्तगत नहीं किया गया है।
3	क्या यह बात सही हैकि पूर्व में निर्मित D.M.F.T. एवं N.R.H.M. स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं ण्ड–01 में निर्मित भवन का हैण्ड ऑवर स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं लिया गया है,	पूर्व में निर्मित स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का स्वास्थ्य विभाग द्वारा हैण्ड ऑवर लिया गया है। जिसमें स्वास्थ्य उपकेन्द्र पुनसिया, दामा एवं करहरिया का भवन प्रमण्डल के ज्ञापांक 661 दिनांक 05.06.2024 के हस्तगत हेतु संवेदक को निदेशित किया गया है परन्तु अभी तक हस्तगत नहीं किया गया है। खण्ड–01 में वर्णित सभी उप स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणाधीन है एवं कार्यकारी एजेंसी द्वारा अभी तक हैण्ड ऑवर नहीं किया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–01 एवं 03 में वर्णित सभी उप स्वास्थ्य केन्द्रों की उच्चस्तरीय जाँच कराकर यथाशीघ्र चालू कराने का विचार राती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यो?	स्वीकारात्मक नहीं है, खण्ड–01 में वर्णित उप स्वास्थ्य केन्द्रों का हस्तगत उक्त कार्यकारी एजेंसी के द्वारा अभी तक नहीं कराया गया है। जाँचोपरांत ही हस्तगत की कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 21/वि0स0–06–04/2024 91(21) स्वा0 राँची, दिनांक– 30.07.2024

प्रतिलिपि :–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय राँची को उनके ज्ञाप सं0–3192/वि0स0 राँची, दिनांक 24.07.2024 के क्रम में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.7.2024

सरकार के विशेष सचिव।

17

श्रीमती पुष्पा देवी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.08.2024 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्याः–स–11 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के छतरपुर अनुमण्डल में अनुमण्डलीय अस्पताल में चिकित्सकों की कुल–18 पद सृजित है, जिसके विरुद्ध मात्र 5 चिकित्सक ही कार्यरत है;	अस्वीकारात्मक। अनुमण्डलीय अस्पताल, छतरपुर में कुल 15 चिकित्सकों का पद सृजित है, जिसमें 8 चिकित्सक कार्यरत है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त अनुमण्डलीय अस्पताल चिकित्सकों की कमी के कारण मरीजों का ससमय उपचार/ईलाज नहीं हो पाता है, जिससे मरीजों के साथ–साथ उनके परिजनों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छतरपुर अनुमण्डलीय अस्पताल में चिकित्सकों के कुल सृजित पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0: 03/वि0स0–03–15/2024 606 (3) राँची, दिनांक: 1.8.24

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 3316/वि0स0 दिनांक 26.07.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/8/2024
सरकार के संयुक्त
सचिव

(18)

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.08.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के बिरनी प्रखण्ड में ग्राम हरिहरपुर में सार्वजनिक रास्ता का अतिक्रमण किया गया है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाई हो रही है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि ग्रामीणों के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को बारम्बार आवेदन देने के बावजूद अबतक सार्वजनिक रास्ता को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है ;	उपायुक्त, गिरिडीह के प्रतिवेदानुसार अंचल कार्यालय में अतिक्रमण वाद का अभिलेख खोलकर सुनवाई की गई है। अतिक्रमणकर्त्ताओं को अंचल कार्यालय, बिरनी के पत्रांक–721, दिनांक– 16.07.2024 से अंतिम नोटिस निर्गत कर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया है । अतिक्रमण मुक्त नहीं करने पर अतिक्रमण हटाने में व्यय की गई राशि अतिक्रमणकर्त्ता से वसूल कर अतिक्रमण मुक्त किया जायेगा ।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्रामीणों के सुलभ आवागमन हेतु ग्राम हरिहरपुर में सार्वजनिक रास्ता को अतिक्रमण मुक्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक :–5/स०भू० विधानसभा(तारांकित)–198/2024-2434 (5)/रा० राँची, दिनांक–31-07-2024

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–3185/वि0स0, दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.7.2024
सरकार के अवर सचिव।

19

श्री केदार हाजरा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.08.2024 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्याः–स–10 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जमुआ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मिर्जागंज, नवडीहा, डेंगाडीह एवं शिबूडीह के अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों का पद सृजित है;	स्वीकारात्मक। जमुआ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नवडीहा, ढेंगाडीह एवं शिबुडीह में दो–दो चिकित्सक तथा मिर्जागंज में एक चिकित्सक का पद सृजित है।
2.	क्या यह बात सही है कि अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन भी तैयार है, लेकिन चिकित्सकों का पदस्थापन नहीं है, चिकित्सकों के नहीं रहने के कारण यहाँ के लोगों को सही चिकित्सा के लिए कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ढेंगाडीह में चिकित्सकों के कुल–02 स्वीकृत पद के विरुद्ध 01 चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिर्जागंज, नवडीहा एवं शिबुडीह में प्रतिनियुक्ति पर एक–एक चिकित्सा पदाधिकारी कार्यरत है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों को पदस्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0: 03/वि0स0–03–13/2024 610(3) राँची, दिनांक: 1.8.24

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 3199/वि0स0 दिनांक 24.07.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/8/2024

सरकार के संयुक्त सचिव

श्री जिगा सुसारण होरो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 02.08.2024 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–स0–07 से सम्बंधित उत्तर प्रतिवेदन :–

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गुमला जिलान्तर्गत कामडारा प्रखण्डाधीन ग्राम जरिया में CHC (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) का निर्माण हुआ है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि CHC के निर्माण में अत्यंत घटिया सामग्री एवं उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें संवेदक एवं पदाधिकारियों की मिलीभगत है;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उच्चस्तरीय जांच कराकर निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक–1769(नि0) दिनांक–26.07.2024 के प्रतिवेदन के अनुसार योजना के कार्यान्वयन के दौरान गुण नियंत्रण हेतु थर्ड पार्टी परामर्शी वेपकोस लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) को रखा गया है। निर्माण कार्य के विभिन्न चरणों में थर्ड पार्टी द्वारा दिनांक 25.05.2023 को उक्त योजना की जाँच की गई है, उनके द्वारा दिये गये ऑवजर्वेशन के अनुसार त्रुटिपूर्ण कार्यो में सुधार के उपरान्त ही आगे का कार्य कराया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–5 / पी0वि0स0(तारांकित)–10 / 2024..... 447(5) स्वा0, राँची, दिनांक: 31.07.2024

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 3196 / वि0स0, दिनांक 24.07.2024 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.7.24

अवर सचिव

(21)

श्री रामदास सोरेन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.08.2024 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–05 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री रामदास सोरेन, माननीय स०वि०स०	**माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।**
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत धालभूमगढ़ अंचल के ग्राम जूनवनी में खाता संख्या–159/136, थाना नम्बर–160, खेसरा संख्या–1098, 1038 एवं 1008 कुल रकवा–4.56 डी० रामचन्द्र संथाल, पिता–कारू संथाल के नाम होने के बावजूद उक्त भूमि को अवैध तरीके से श्री बंकिमचन्द्र चक्रवर्ती, पिता श्री हेमचन्द्र चक्रवर्ती, घाटशिला निवासी द्वारा कब्जा कर लिया गया ;	**अस्वीकारात्मक।** पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत धालभूमगढ़ अंचल के ग्राम–जुनबनी, थाना नं0–170, खाता नं0–159, प्लॉट नं0–1098, 1038 एवं 1008 कुल रकबा–4.31 ए0 में वर्तमान में राम चन्द्र संथाल पिता–कारू संथाल के वंशज राज चन्द्र हॉसदा पिता–सुभाष हॉसदा का दखल कब्जा है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड एक में वर्णित भूमि पर श्री रामचन्द्र संथाल (आवेदक/पक्षधर) द्वारा सम्बंधित एल०आर०डी०सी०, धालभूमगढ़ के न्यायालय में R-P CASE No-10/80-81 दर्ज की गई तथा बाद में उक्त मामले की सुनवाई करते हुए तत्कालीन उपायुक्त श्री बी०के० सिन्हा ने अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम के निहित प्रावधान अन्तर्गत विपक्षी (प्रतिवादी) को एक सप्ताह के अन्दर वादी (आवेदक/पक्षकार) को दखल दिलाने से सम्बन्धित आदेश दिये जाने के बावजूद उक्त मामले पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है जो जाँच का विषय है ;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, घाटशिला के न्यायालय द्वारा RP Case No.-10/80-81 में पारित आदेश के आलोक में दखल–दिहानी की कार्रवाई की गई थी। तत्पश्चात् से रामचन्द्र संथाल के वंशजों का दखल–कब्जा कायम है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित भूमि पर श्री रामचन्द्र संथाल को तत्काल प्रभाव से उक्त आदेश के आलोक में दखल दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	**उपर्युक्त कंडिकाओं से स्थिति स्पष्ट है।**

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः– 6/विधानसभा (पू0सिंहभूम)–224/2024..2435/रा0, दिनांक–31-07-2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–3188/वि0स0, दिनांक–24.07.2024 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/24

सरकार के उप सचिव।

श्री दशरथ गागराई, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.08.2024 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्याः–स–06 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरिभंजा, प्रखण्ड–सरसावॉ, जिला–सरायकेला–खरसावॉ में चिकित्सा पदाधिकारी के पद का सृजन हो गया है ;	स्वीकारात्मक। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरिभंजा, प्रखण्ड–सरसावॉ, जिला– सरायकेला–खरसावॉ में चिकित्सा पदाधिकारी का 02 पद सृजित है।
2.	क्या यह बात सही है कि पद सृजन के बाद भी उपर्युक्त पद पर चिकित्सा पदाधिकारी का पदस्थापन नहीं हुआ है;	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरिभंजा, प्रखण्ड–सरसावॉ, जिला– सरायकेला–खरसावॉ में 01 चिकित्सा पदाधिकारी दिनांक–08.04.2023 के पूर्वाह्न में योगदान दिये थे परन्तु दिनांक–10.06.2023 को अपने पद से त्याग पत्र दे दिये। उक्त केन्द्र में चिकित्सा पदाधिकारी के रिक्त पद पर पदस्थापन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरिभंजा में चिकित्सा पदाधिकारी के पदस्थापन का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0: 03/वि0स0–03–10/2024 – 528(3) राँची, दिनांकः 31/7/2024

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 3195/वि0स0 दिनांक 24.07.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/2024

सरकार के संयुक्त सचिव

23

श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 02.08.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–04 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला स्थित PMCH (शहीद निर्मल महतो) अस्पताल में सफाई कर्मी आउट सोंसींग से कार्यरत है, उक्त अस्पताल में सफाई की कर्मी एवं संवेदक तथा अस्पताल के प्रशासक सफाई पर ध्यान नहीं देते है, जिसके कारण मरीजों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, धनबाद में निविदा के माध्यम से आउटसोर्सिंग के अन्तर्गत सफाई कर्मियों की सेवाएँ प्राप्त की जा रही है।
2.	क्या उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्णित अस्पताल की सफाई सुनिश्चित करते हुए काम में लापरवाही बरतने वाले संवेदक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	अस्पताल प्रबंधन द्वारा अस्पताल के साफ–सफाई पर ध्यान दिया जाता है। साफ–सफाई में कमी पाये जाने पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा सफाई एजेंसी के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है तथा पारिश्रमिकी भुगतान में कटौती भी की गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 09/विधायी/06–10/2024 - 362(9) स्वा0 राँची, दिनांक- 31.07.2024

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–3193 वि0स0, दि०–24.07.2024 के क्रम में 200 (दो सौ प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/24

सरकार के अवर सचिव।

(24)

श्रीमती सुनिता चौधरी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक--02.08.2024 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०--रा०--08 का प्रश्नोत्तर।

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
	श्रीमती सुनिता चौधरी, मा०स०वि०स०	**माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।**
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार के द्वारा राज्य के नागरिकों को जमीन संबंधी सर्विस ऑनलाइन प्रदान करने के लिए झारभूमि पोर्टल की शुरूआत की गई है। लेकिन गोला, दूलमी, चितरपुर एवं रामगढ़ अंचल के जमीन के ऑनलाइन करते वक्त 70 से 80 प्रतिशत भूमि का खाता भू–नक्शा, रजिस्टर–2, खेसरा विवरण और अन्य लैंड रिकॉर्डस गलत दर्ज किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। परिशोधन पोर्टल के माध्यम से रैयतों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन के आलोक में उपलब्ध दस्तावेजों एवं भौतिक सत्यापन कराकर डिजिटाईजेशन व ऑनलाईन त्रुटियों का निराकरण/सुधार अंचल कार्यालयों द्वारा लगातार किया जा रहा है। परिशोधन पोर्टल में प्राप्त ऑनलाईन सुधार/निराकरण प्रक्रिया में 317 मामलों का निपटारा किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि ऑनलाइन रिकॉर्ड एवं रजिस्टर–2 में भिन्नता के कारण उक्त अंचल में दाखिल–खारिज, भूमि जमाबन्दी, जमीन की प्रकृति रसीद निर्गत करने में भारी मात्रा में दस्तावेज के साथ छेड़–छाड़ की गई है, जिसके कारण दाखिल खारिज, भूमि सत्यापन इत्यादि कार्यों में जनता को परेशानी हो रही है;	इस प्रकार का कोई भी मामला संज्ञान में नहीं आया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–(1) में वर्णित अंचलों के भू–रिकॉर्ड में सुधार करने, भूमि रिकॉर्ड में हेराफेरी की जाँच करने एवं दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक--01/निदे०अभि०, वि०स० (तारां)–30/2024..237/नि०.... राँची, दिनांक–..01-8-2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–3313/वि०स०, दिनांक–26.07.2024 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय (प्रभारी) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/8/24

सरकार के अवर सचिव।

Desktop/Prem Sir/QA (Aman)